राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

20/198, कावेरी पथ, सैक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर।

फोन नं.– 0141-2399335, 2399336, ई–मेल – dcr.raj@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 23(2)(1) स.बा.पु.के./आईसीपीएस/बा.अ.वि./2021/ 12154   जयपुर, दिनांकः 01-07-2021

आदेश

विषयः– समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र संचालन दिशा–निर्देश, 2021 के क्रियान्वयन के संबंध में।

बालक/बालिकाओं में नशे की प्रवृत्ति रोकने एवं उपचार के लिए मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक 25.06.2021 को जारी आज्ञा 78/2021 की पालना में "समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र संचालन दिशा–निर्देश, 2021" लागू किये जाते हैंः–

1. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र की आवश्यकता एवं उद्देश्य ::

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के तहत् मादक द्रव्य दुरूपयोग में संलिप्त/इसके जोखिम पर मौजूद बालक/बालिकाओं को ''देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक'' माना गया है।
2. बाल संरक्षण सेवाये (सी.पी.एस.) के तहत् भी नशे में संलिप्त बालक/बालिकाओं को ''विशेष आवश्यकता वाला बालक'' मानते हुये उन्हें पुनर्वासित सेवायें उपलब्ध कराने के लिये विशेष उपबन्ध किये गये है।
3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के तहत् राज्य सरकार से नशे में संलिप्त बालक/बालिकाओं के लिए समेकित पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है।
4. नशे की परिस्थितियों में मौजूद बालक/बालिकाओं से बाहर निकालने के लिए समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों का संचालन किया जायेगा।

2. लाभान्वित श्रेणी ::

1. 18 वर्ष से कम आयु के विधि से संघर्षरत बालक/बालिका।
2. 18 वर्ष से कम आयु के देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिका।

3. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों के संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन ::

1. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं बाल संरक्षण सेवाओं (सी.पी.एस.) के तहत् बाल गृह संचालन करने वाली अनुदानित स्वयंसेवी संस्थाओं से समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु अभिरूचि आमंत्रित की जायेगी।

Scanned with CamScanner

2. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा अभिरूचि व्यक्त करने एवं आवश्यक मापदण्डों की पूर्ति करने वाली स्वयंसेवी संस्था को समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु चयनित किया जायेगा।
3. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा चयनित स्वयंसेवी संस्था को बाल संरक्षण सेवाओं (सी.पी.एस.) के तहत् अनुदान प्राप्त करने की समस्त पात्रताओं की पूर्ति करना आवश्यक होगा।
4. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा चयनित स्वयंसेवी संस्था को बाल संरक्षण सेवाओं (सी.पी.एस.) के तहत् अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने का प्रस्ताव मय अभिशंषा भारत सरकार को प्रेषित की जायेगी।
5. भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा चयनित स्वयंसेवी संस्था को समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु फिट फैसेलिटी (उपयुक्त सुविधा) घोषित किया जायेगा।
6. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु घोषित फिट फैसेलिटी (उपयुक्त सुविधा) के संबन्ध में संबन्धित चिल्ड्रन कोर्ट (बाल न्यायालय)/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति को सूचित किया जायेगा।
7. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र का संचालन संतोषजनक नहीं होने या मौजूद व्यवस्थाओं या प्रबंधन के मानक असंतोषजनक होने या अधिनियम की धारा 54 के अधीन गठित निरीक्षण समिति या चिल्ड्रन कोर्ट/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति की किसी प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) की मान्यता निरस्त की जा सकेगी।
8. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) में किसी बालक/बालिका के साथ शोषण या दुर्व्यवहार कारित करने की स्थिति में भी मान्यता निरस्त की जा सकेगी।
9. जिला बाल सरंक्षण इकाई द्वारा जिन समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) की मान्यता निरस्त की गई है, की सूचना संबन्धित चिल्ड्रन कोर्ट/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति को अग्रेशित की जाएगी।

4. <u>समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों से बालक/बालिकाओं को जोड़ने की प्रक्रिया::</u>

1. चिल्ड्रन कोर्ट/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत नशे में संलिप्त किसी बालक/बालिका को अधिनियम एवं आदर्श नियम मे वर्णित प्रकिया के तहत् उपचार हेतु समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) में प्रवेशित किया जा सकेगा।
2. नशे में संलिप्त बालक/बालिका को चिकित्सक/विशेषज्ञ के परामर्श अनुसार समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) में उपचार के लिये रखा जा सकेगा।
3. किसी एक समय में समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) में अधिकतम 10 बालक/बालिकाओं को उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा।
4. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) में लाभान्वित बच्चों का विस्तृत विवरण पृथक–पृथक पत्रावली में संधारित किया जायेगा।

5. <u>समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली पुनर्वासित सेवायें::</u>

1. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) में बालक/बालिकाओं को निम्नानुसार बुनियादी सुविधा प्रदान की जायेगी–

    1. भोजन, वस्त्र, जल, स्वच्छता और साफ–सफाई।
    2. परामर्श सहित मानसिक स्वास्थ्य कार्यकलाप।

Scanned with CamScanner

3. प्राथमिक उपचार सहित चिकित्सीय सुविधाएं और विशेषीकृत उपचार में सहायता।
4. सेतु शिक्षा, निरन्तर शिक्षा सहित आयु अनुरूप उपयुक्त औपचारिक शिक्षा और जीवन कौशल शिक्षा।
5. मनोरंजन, खेलकूद, ललित कलाएं और सामूहिक कार्यकलाप।

2. नशे में संलिप्त बालक/बालिकाओं के उपचार एवं विकासात्मक जरूरतों की पूर्ति के लिये चिकित्सक/विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में निर्धारित अवधि हेतु निम्नलिखित विशेषीकृत पुनर्वासित सेवायें भी उपलब्ध कराई जायेगी–

   1. बालक/बालिका की मनोस्थिति एवं नशे की स्थिति आंकलन।
   2. मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप/उपचार।
   3. आमोद–प्रमोद गतिविधियां।
   4. मनोरंजक चिकित्सा।
   5. व्यवसायिक थैरेपी।
   6. योगा/ध्यान इत्यादि।

3. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) से उपचार प्राप्त करने उपरान्त निर्धारित अवधि तक अनुवर्तन एवं अन्य आवश्यक पुनर्वासित सेवायें उपलब्ध कराई जायेगी।

6. **<u>समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) की जिम्मेदारियां</u> ::**

1. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) संचालित करने वाली चयनित स्वयंसेवी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके केन्द्र से जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध न हुआ हो या किसी अनैतिक कार्य या बच्चे से दुर्व्यवहार या बाल श्रमिक के नियोजन या नैतिक अधमता के अपराध में संलिप्त न रहा हो।
2. चयनित स्वयंसेवी संस्था द्वारा देखभालकर्ताओं/सेवा–प्रदाताओं का चयन उनकी योग्यता एवं बालक/बालिकाओं की देखरेख करने के पूर्व अनुभव के आधार पर किया जायेगा जिसमें उनका नशा मुक्ति के क्षेत्र में विषय विशेषज्ञता तथा उनके विरूद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना आवश्यक होगा।
3. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) द्वारा अधिनियम एवं आदर्श नियमों में वर्णित प्रावधानों की आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित की जायेगी।
4. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) द्वारा किसी उपचाराधीन बालक/बालिका के गंभीर रोग से बीमार होने अथवा उसके गुम होने/पलायन (भाग जाने) करने अथवा उसके साथ दुर्व्यवहार होने अथवा बालक/बालिका द्वारा किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य अथवा स्वयं को हानि पहुंचाने वाला व्यवहार करने अथवा उसकी मृत्यु होने की स्थिति में सूचना संबंधित चिल्ड्रन कोर्ट/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित की जायेगी।
5. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) द्वारा बालक/बालिका एवं उनके परिजनों को समय–समय पर उपचार की वस्तुस्थिति एवं अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जायेगा।
6. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) द्वारा बालक/बालिकाओं की निजता एवं गोपनीयता सुनिश्चित की जायेगी।
7. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) द्वारा बालक/बालिकाओं को उपलब्ध कराये जा रहे उपचार से उनमें हो रहे परिवर्तन से नियमित अन्तराल पर संबंधित

Scanned with CamScanner

चिल्ड्रन कोर्ट/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति को अवगत कराया जायेगा।

8. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) में रखे गये बालक/बालिकाओं की देखरेख एवं सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित स्वयंसेवी संस्था की होगी।
9. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) में रखे गये बालक/बालिकाओं के साथ किसी भी प्रकार का शोषण या दुर्व्यवहार नहीं हो, इस बाबत् आवश्यक प्रबन्ध किये जायेंगे।
10. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) संचालित करने वाली स्वयंसेवी संस्था द्वारा अधिनियम, आदर्श नियम के प्रावधानों के पालना के अतिरिक्त राज्य सरकार तथा चिल्ड्रन कोर्ट/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/दिशा-निर्देश की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

7. <u>वित्तीय प्रावधान</u> ::

1. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु चयनित स्वयंसेवी संस्था को अनुदान (अतिरिक्त वित्तीय सहायता) जारी किया जायेगा।
2. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चयनित स्वयंसेवी संस्था को बाल संरक्षण सेवायें (सी.पी.एस.) योजना के अतंर्गत निर्धारित मद एवं मापदण्ड के अनुसार अनुदान जारी किया जायेगा।
3. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जारी किया जायेगा।
4. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र के संचालन अवधि तक अनुदान (अतिरिक्त वित्तीय सहायता) प्रदान किया जायेगा।

8. <u>समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) के निरीक्षण/पर्यवेक्षण/निगरानी ::</u>

1. चिल्ड्रन कोर्ट/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति तथा जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों (फिट फैसिलिटी) का निर्धारित अन्तराल पर निरीक्षण किया जायेगा।
2. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र (फिट फैसिलिटी) द्वारा निम्नानुसार रिकॉर्ड संधारण किया जायेगा-

   (अ) चिल्ड्रन कोर्ट/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति से समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों में प्रवेशित/डिस्चार्ज बालक/बालिकाओं का रजिस्टर।
   (ब) देखभालकर्ताओं/सेवा-प्रदाताओं का रजिस्टर।
   (स) लाभान्वित बालक/बालिकाओं की व्यक्तिगत पत्रावली।
   (द) लाभान्वित बालक/बालिकाओं की मेडिकल पत्रावली।
   (य) समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों के संचालन संबंधी पत्रावली।
   (र) निरीक्षण पत्रावली।

3. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिले में समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र के बारे में प्रचार-प्रसार एवं देखभालकर्ताओं का प्रशिक्षण/आमुखीकरण सुनिश्चित किया जायेगा।
4. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से लाभान्वित बालक/बालिकाओं का विवरण त्रैमासिक स्तर पर राजस्थान स्टेट

Scanned with CamScanner

चाईल्ड प्रोटक्शन सोसायटी, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान को प्रेषित किया जायेगा।

9. **अनुवर्तन / संचालन / समीक्षा ::**

1. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र संचालन दिशा–निर्देश, 2021 के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई क्रियान्वयक अभिकरण के रूप में कार्य करेंगें।
2. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों के संचालन की त्रैमासिक स्तर पर समीक्षा की जायेगी।
3. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र संचालन दिशा–निर्देश, 2021 के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृति, प्रशासनिक एवं अन्य कार्य सम्पादन हेतु राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी (आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग) तथा जिला स्तर पर सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग सक्षम होंगे।
4. राज्य सरकार के निर्देशों पर समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र संचालन दिशा–निर्देश, 2021 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं / अभिलेख / जांच / निरीक्षण प्रतिवेदन, अनुबन्ध पत्र, शर्तों आदि में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
5. समेकित बाल पुनर्वास केन्द्र संचालन दिशा–निर्देश, 2021 के निर्वचन, विवेचन एवं संशोधन की शक्तियां राज्य सरकार में निहित होगी।

यह आदेश वित्त विभाग, राजस्थान की आई.डी. संख्या 102101518 दिनांक 01.04.2021 के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेश चन्द्र शर्मा)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव
एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

क्रमांकः एफ 23(2)(1) स.बा.पु.के. / आईसीपीएस / बा.अ.वि. / 2021 / 12155-759 जयपुर, दिनांकः 01-07-2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान एवं अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, राजस्थान।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. उप सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज. जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई।
7. समस्त पीठासीन अधिकारी, चिल्ड्रन कोर्ट (बाल न्यायालय)।
8. समस्त प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट / सदस्यगण, किशोर न्याय बोर्ड।

Scanned with CamScanner

9. समस्त अध्यक्ष/सदस्यगण, बाल कल्याण समिति।
10. लेखाधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, जयपुर।
11. समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग।
12. समस्त अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह/विशेष गृह/सुरक्षित अभिरक्षा/किशोर गृह/बालिका गृह।
13. समस्त अधीक्षक/प्रभारी, गैर राजकीय बाल गृह/बालिका गृह/खुला आश्रय।
14. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (आई.सी.पी.एस.)

Scanned with CamScanner